International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 03, March 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

मुस्लिम समाज मे महिलाओं की प्रस्थिति और भू मका

ज्योति संह
शोध छात्रा समाजशास्त्र वभाग
डॉ० आभा सक्सेना अध्यक्ष एवं ऐसो सएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र वभाग श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कॉलेज वाराणसी

मध्यकाल को मुस्लिम शासन काल के नाम से भी जाना जाता है। इस युग का आरम्भ ग्यारहवीं शताब्दी से हुआ। इस युगमें स्त्रियों की स्थिति में जितना पतन हुआए उसकी कल्पना कर पाना कठिन है। धर्मशास्त्र युग में स्त्रियों को जिनअ धकारों से वं चत कया गया था। उनका वास्त वक रूप मध्यकाल में ही स्पष्ट होता है। इस समय धर्म के नाम पर जिनप्रमुख दशाओं ने स्त्रियों के जीवन को नारकीय बना दिया उनमें सती प्रथाए , बा लका हत्याए , बाल ववाह , वधवापुन र्ववाह पर नियन्त्रणबहुपत्नी ववाह पर्दा प्रथा पर तथा सम्पर्क पर प्रतिबन्ध आदि प्रमुख हैं। यह सभी दशाएँ एकदूसरे का कारण और परिणाम बन गयी। अनेक पौरा णक और गाथाओं के द्वारा स्त्रियों को यह वश्वासदिलाया गया क पति की चता के साथ सती होने से उन्हें मोक्ष मल सकता है। इस प्रथा का वीभत्स रूप राजस्थान मेंजौहर प्रथा थी जिसमें चीत्कार करती हुई सैकड़ों वधवाओं को सामूहिक रूप से आत्मदाह करने के लए बाध्य कयाजाने लगा। इस समय पुत्री के जन्म को एक दुर्भाग्य के रूप में देखा जाने लगा। फलस्वरूप अनेक सवर्ण जातियों में पुत्रीका जन्म होते ही उसकी हत्या कर देना एक सामान्य प्रचलन बन गया। इस समय में समाज में ऐसा कोई नियम नहीं थाजिसके द्वारा पुत्री की हत्या कर देना एक सामान्य प्रचलन बन गया। इस समय में समाज में ऐसा कोई नहीं था जिसकेद्वारा पुत्री की हत्या करने वाले माता- पता को दण्डित कया जा सके। बाल- ववाह प्रथा ने इतना गम्भीर रूप ले लया क चार-पाँच वर्ष की लड़की का ववाह करना माता- पता अपने धा र्मक कर्तव्य के रूप में देखने लगे।

इस्लाम यह मानता है क पती-पत्नी को साथ तब तक रहना चाहिए जब तक उनमें प्यार हो और एक दूसरे का साथनिभाने की क्षमता हो। जब दोनों का साथ रहना प्रयास करने पर भी सम्भव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में इस्लाम पुरूष कोतलाक और स्त्री को खुला का अ धकार देता है। पती-पत्नी यदि एक दूसरे के लए बोझ बन जाय तब इस्लाम अदालत

कोवैवाहिक जीवन समाप्त करने का अ धकार देता है क्यों क मुस्लिम ववाह एक सं वदा है इस लए आवश्यकता होने परइसको समाप्त भी कर सकता है। हांला क खुदा ईश्वरने तलाक को पसन्द नहीं कया है। इस लए तलाक सबसे खराबहालात में देना चाहिए। तलाक में जल्दी करने की मनाही है। कुरान निर्देश देता है क पति.पत्नी का झगड़ा होने परतलाक से पहले पूरी तरह को शश करना चाहिए क दोनों के बीच समझौता हो जाय। कुरान में कहा गया है क अगरतुमको अपनी बीवी के बिगाड़ का अंदेशा हो तो बजाय अदालत या मामला तूल पकड़ने से पहले ही पुरूष की तरफ सेएक पंच और एक पंच स्त्री की तरफ से ठहराओ। अगर दोंनो की नेक सलाह हुई तो अल्लाह दोनों में मलन करवा देगा। बेशक अल्लाह बड़ा जानकार हर तरफ खबरदार है।

कुरान पति को आदेश देता है क पत्नी उसे पसन्द नहीं हो फर भी उससे अच्छा व्यवहार करे इनके साथ अच्छे सुलूक सेरहो अगर वह तुमको न पसन्द भी हो तो हो सकता है क तुम कसी चीज को नापसन्द करो और अल्लाह इसमें बहुत कुछभलाई रखा है ले कन समझौता करने के प्रयास के बाद भी पति.पत्नी का साथ रहना मुश्किल हो और दोनों काचैन-सुकून समाप्त होने वाला हो तो वहाँ आ खरी हरबे के तौर पर तलाक का प्रयोग करना चाहिए।

खुला उस ववाह वच्छेद अर्थात् तलाक को कहते हैं जिसमें स्त्री स्वयं ववाह वच्छेद तलाक लए अनुरोध औरमाँग करती है। औरत को भीतलाक लेने का अ धकार दिया गया है। जब कोई आदमी अपने पति कर्तव्य नहीं निभाता है और पत्नी को तलाक भी नहींदेता है धा र्मक प्रशासन द्वारा पति को बुलाकर पहले तलाक देने का निर्देश देना चाहिए। यदि तब भी वह तलाक नहींदेता है तब धा र्मक प्रशासन को उसकी पत्नी को तलाक का आदेश दे देना चाहिए। अब बा सर इमाम बल सादिक कोई आदमी अपनी पत्नी को पहनने के कपड़े और गुजारा भत्ता नहीं देता है तो मुस्लिम नेताओं के लएयह अनिवार्य है क वे उनकी तलाक करा दे परन्तु हर कसी को काजी बनकर पति-पत्नी के झगड़े में हस्तक्षेप करने कीइजाजत नहीं है और न ही इस्लाम यह चाहता है क पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरह छोटी-छोटी बातों परपति-पत्नी का तलाक हो जाय।

जीनत शौकत अली ने अपनी पुस्तक में लखा है क कुरान का निर्वचन वर्तमान सन्दर्भ में कया जाना चाहिए।

उदाहरणार्थ जब कुरान ने दो या तीन पत्नियों की अनुमति दी तो यह निर्बन्धित अर्थ में कया गया था। यह केवलइस लए कया गया थाए क्यों क उस समय पुरूष कई पत्नियाँ रखते थे। कुरान में यह भी उल्लि खत है क यदि तुम सभीपत्नियों के साथ न्यायपूर्ण

व्यवहार नहीं कर सकते तो तुम्हे एक ही रखना चाहिए। कुरान का त्रुटिपूर्ण निर्वचन होने केकारण स्त्रियों को समुदाय में पीछे छोड़ दिया गया है। यही नहीं तलाक दे देने पर भी कुरान एक बार पुनः स्त्री]-पुरूष कोमेल करने का अवसर प्रदान करता है। इस्लाम मेंइस रीति को श्हलालाश् कहा जाता है। कुरान ने कहा है क उसेतलाक दे दिया तो उस पुरूषको इसके बाद वह स्त्री श्हलालाश् वहितनहीं जब तक क दूसरा पति उससे ववाहन कर ले। फर पूर्व यदि तलाक दे दिया तो उन दोनो पर दोष नहींहैं। वह अपने पूर्व पति-पत्नी सम्बन्ध पर वापस लौटसकते हैं। यदि समझे क वह परमात्मा की मर्यादा को निभासकेगें। सामान्य ववाह सम्बन्ध के अतिरिक्त श्शियाश् सम्प्रदाय वाले मुसलमान एक और सर्वा धक पति-पत्नी सम्बन्ध स्वीकारकरते हैं जिसका परिभा षत नाम भुताश् है। यह सम्बन्ध हमेशा के लए नहीं होता बल्कि कुछ खास अव ध के लएनिर्धारित करके होता है। उस अव ध के पश्चात् वह सम्बन्ध स्वयं टूट जाता है।

केवल सन्तानोत्पत्ति के वचार से ही स्त्री पुरूष का कृ ष कृषक होना उ चत है बल्कि जिस प्रकार कृ ष पर कृषक काजीवन अवलम्बित है वैसे ही स्त्री पर पुरूष जगत का अस्तित्व होना भी इससे ध्वनित होता है। कुरान में उल्लि खत हैइसमें पुरूष का स्त्रियों पर अचल आ धपत्य सद्ध कया गया है।

+++++++इस्लाम द्वारा उनको दिये गये अ धकार स्त्री-जगत पर कम उपकार नहीं है। उस परिस्थिति में जहाँ तक हो सकताथा उतना कया गया। अब पुरूषों के स्त्रियों पर अ धष्ठानृत्व का निर्णय मुसलमान स्त्रियों के हाथों में हैं।

पर्दा प्रथा के सन्दर्भ में धर्म ग्रन्थों में उल्लि खत है। परिवार द्वारा समाज में अ धकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था की जातीहै जिससे समाज के सदस्यों में संघर्ष न हो और वे एक.दूसरे के पूरक के रूप में साथ.साथ वक सत हो। समाज में इंसानसांमजस्य बनाये रखने के लए समाज कई तरह के नियन्त्रण लगाता है। कुछ नियन्त्रण नियमानुसार चलते हैं और कुछसमय गुजरने के साथमुस्लिम समाज मे महिलाओं की प्रस्थिति और भू मकाँपरम्पराएं और प्रथाएँ बन कर समाज में शा मल हो जाती है तथा अपने मूल उद्देश्यों से दूर हट जाती है।

++

इस्लामी समाज में भी औरत के जीवन से जुड़े कुछ बिन्दु हैं। मुस्लिम औरत को बा लग होने पर नामहरम जिससे निकाहहो सकता हैए से पर्दा करना होता है। पर्दे को अरबी भाषा में हिजाब कहा गया है। कुरान में पर्दे के सन्दर्भ में कहा गया है नवी अपनी बी वयोंए बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो क अपने ऊपर अपनी चादरों के घूघट

डालदिया करें। इस अमल से इसकी ज्यादा उम्मीद है क वह पहचान ली जाएगी और उन्हें सताया नहीं जाएगा। इस आयतका आशय है इसके नूजूल के कारण चूं क कुछ लोग वशेषकर यहूदी मुसलमान स्त्रियों को सुबह जब वह शौच के लएजाती थी तो उन्हें छेड़ा जाता था और जब उनको पकड़ा जाता था तो कह दिया करते थे क हमने इनको लौं डया समझाथा भद्र महिला नहीं। इस लए पहचान के लए भद्र महिलाओं को चूँघट करने के लए कहा गया।

अरब के प्र सद्ध वद्वान और हदीस वशेषज्ञ मोहम्मद ना सरूद्दीन अल्बानी कुरान और हदीस के प्रकाश में पर्दे कोतहकीक करते हुए लखते हैं क चेहरा लाजमी ;आवश्यक रूप सेद्ध तौर से पर्दे में सम्मि लत नहीं है। अल्बानीयह भी मानते हैं क इसका छुपाना अ धक अच्छा है। अल्बानी उन लोगों से मतभेद रखते हैं जो चेहरे को लाजमी तौरपर सतर में सम्मि लत करते हैं। वह कुरान की अदालत को दलील के लए पेश करते हैं। जिससे कया यानि चेहरे कोछुपाया उसने अमल कया और जिसने नहीं छुपाया तो कोई हर्ज नहीं। इस आयत में श्इल्लर मा जह मन्हाश् से चेहराऔर हाथों को अलग कया गया है। जो लोग चेहरा और हाथों को गलत कहते हैं वे गुमराह हैं। इस्लाम में स्त्री के साथपुरूष को भी पर्दे का आदेश दिया गया है। इस बारे में कुरान सूरा मेंमुस्लिम समाज में महिलाओं की प्रस्थिति और भू मकाँ लखा है कनवी मो मन मर्यों से कहो क अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पाक दा मनी की हिफाजत करें औरमो मन औरतों से कहो क अपनी निगाहें नीची रखें।

कुरान ने महिलाओं को इज्जत के साथ जीवन व्यतीत करने और पुरूष की हवस से बचाने के लए पाबन्दियाँ अवश्यलगाई जिनको पुरूष प्रधान समय ने अपने तरीके से तोड़ा.मरोड़ा और वह महिलाओं के लए परेशानी का कारण बनतेहुए अपने मुख्य उद्देश्य से दूर हट गई। आमतौर पर लोग यह समझते हैं क पर्दे का सम्बन्ध केवल स्त्रियों से है।

हालां ककुरान में अल्लाह ने स्त्रियों से पहले पुरूषों के पर्दे का वर्णन कया है. कह दो क वे अपनी नजरें नीचीरखे और अपनी पाकदा मनी की सुरक्षा करें। यह उनको अ धक प वत्र बनाएगा और अल्लाह खूब परि चत है प्रत्येक उसकार्य से जो वे करते हैं।

कुरान में कहा गया है क उस क्षण जब एक व्यक्ति की नजर कसी स्त्री पर पड़े तो उसे चाहिए क वह अपनी नजर नीचीकर ले। वस्त्र के द्वारा पर्दे के साथ.साथ आँखों और वचारों का भी पर्दा करना चाहिए। कसी व्यक्ति के चाल.चलनबातचीत एवं व्यवहार को भी पर्दे के दायरे में लया जाता है। पर्दे का औरतों को क्यों आदेश दिया जाता हैइसके कारणका प वत्र कुरान की सूराः अल अजहाब में उल्लेख कया गया है. नवी अपनी

पत्नियोंए पुत्रियों और ईमानवालीऔरतों से कह दो क वे जब बाहर जाए तो ऊपरी वस्त्र से स्वयं को ढक ले। यह अत्यन्त आसान है क वे इसी प्रकारजानी जाए और दुर्व्यवहार से सुर क्षत रहें और अल्लाह बड़ा क्षमाकारी और बड़ा क्षमाकारी और बड़ा ही दयालु है।

प वत्र कुरान कहता है क औरतों को पर्दे का इस लएउपदेश दिया गया है क वे पाकदा मनी के रूप में देखी जाए और पर्दा उनसे दुर्व्यवहार को रोकता है।इस्लाम के पारम्परिक दौर में अरब अपनी पत्नियों के साथ तशहुद और मारपीट कया करते थे। मर्द औरतों को परेशानकरने के लए तकलीफें पहुचाते थे। मोहम्मद साहब ने उन्हें औरतों को मारने से रोका। उस समाज में रस्म.रिवाज औरहिक्मते-अमली को ध्यान रखते हुए सर्फ सरकश औरतों को सही रास्ते पर लाने के लए पीटने की इजाजत दी गई थी न क महिलाओं को तकलीफ देने या अधीनस्थ शाबित करने के लएए हदीस में कहा गया है क जब मोहम्मद साहब कीपत्नियों के पास औरतें शकायत लेकर आयी थी क उनके पति बहुत अ धक पीटने लगे हैं तब मोहम्मद साहब ने फर सेमर्दो को ऐसा करने से रोका। इस्लाम मे स्त्री और पुरूषके पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में औरत को मर्द का दोस्त या मत्रबताया।

वधवा पुन र्ववाह पर कठोर नियन्त्रण लगाने के लए वधवा को घर के एक ऐसे स्थान पर रहना आवश्यक कर दियागया जहाँ से बाहर निकलकर वह परिवार के भी कसी पुरूष सदस्य के सम्पर्क में न आ सके। इस समय पर्दा प्रथा स्त्रियोंके जीवन का अ भन्न अंग बन गयी। स्त्रियों की स्वतंत्रता को इस सीमा तक कम कर दिया गया क वे नातेदारों केअतिरिक्त कसी भी व्यक्ति के सम्पर्क में न आ सके। लड़ कयों द्वारा शक्षा ग्रहण करना एक अधा र्मक कृत्य के रूप में देखाजाने लगा। उन्हें सम्पत्ति के अ धकारों से पूर्णतया वं चत कर दिया गया।

कुरान मे समाज की समानता पर बल दिया गया है तथा सभी मुसलमानों को समान अ धकार दिये गये हैं। पैगम्बरमोहम्मद साहब ने स्त्री.पुरूष के बीच मुस्लिम समाज मे महिलाओं की प्रस्थिति और भू मकाभेद-भाव नहीं कया और उन्हें समान अ धकार प्रदान कये। स्त्रियों को पैतृक सम्पत्ति में भी अ धकार दिया गया।

मोहम्मद साहब के अनुसार यदि कसी के यहाँ लड़की का जन्म हो और वह उसका आदर करे और अपने पुत्रों के समान -लालन.पालन करे तो स्वर्ग में ईश्वर उसको इनाम देगा। यहाँ तक की पैगम्बर ने दासी स्त्रियों के साथ भी अच्छे व्यवहारकरने का उपदेश दिया है। धा र्मक क्षेत्र में भी पुरूषों और स्त्रियों के बीच भेदभाव नहीं रखा है। भारतीय स्त्रियों कीस्थिति मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति को भी प्रभा वत कया।

मुस्लिम स्त्रियों के स्तर में गरावट आयी और उन्हें पुरूषों परआ श्रत स्वीकार कया जाने लगा। मुस्लिम समाज के व भन्न वर्गों की स्त्रियों की दशा में भन्नता थी। शासक वर्ग कीस्त्रियों की दशा अन्य वर्गों की अपेक्षा अच्छी थी। मुस्लिम शासकों के राजमहल में श्हरमश् की व्यवस्था थी। जहाँ उनकेपरिवार की स्त्रियाँ रहती थी जिनके साथ अनेक सी क्रयाएँ भी होती थी। हरम में स्त्रियों की शक्षा.दीक्षा की भीव्यवस्था थी। उनके मनोरंजन के लए महिलाएँ होती थीं जो व भन्न कलाओं में प्रवीण होती थी।

शासक वर्ग की महिलाओं जो राजीति एवं सांस्कृतिक क्रयाकलापों में प्रवीण होती थी और वशेष रूप से भाग लेती थी।

सल्तनत काल में इल्तु मश की पत्नी शाहतुर्कान और उसकी पुत्री रजिया के नाम वशेष उल्लेखनीय हैं। मुगलकाल में भीमहिलाओं ने व भन्न क्षेत्रों में योगदान दिया। मुगलकाल की प्रमुख महिलाओं में गुलबदन बेगमए हमीदाबानो बेगमनूरजहाँए मुमताज जहाँ आर जहाँआरा के नाम प्रमुख हैं। गुलबदन बेगम और जहाँआरा ने अपनी रचनाओं द्वारासाहित्यिक रू च का परिचय दिया। नूरजहाँ ने समकालीन राजनीति को बहुत प्रभा वत कया।

अमीर वर्ग की गणना भी शासक वर्ग में की जाती थी। यह अमीर आ र्थक दृष्टि से धनी और सम्पन्न थे जिसके कारणसामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में यह शासकों की जीवन शैली का अनुकरण करते थे। शासकों की भाँति इनके भी वशाल हरम होते थे जहाँ इनके परिवार की महिलाएँ और से वकाएँ रहती थी। इनके साथ ही साथ उनके मनोरंजन के लए गायिकाओं और नर्त कयों की व्यवस्था थी। संक्षेप में उच्च अमीर वर्ग की स्त्रियों को सभी प्रमुख सु वधाएँ उपलब्धथी। इसी वर्ग में हिन्दू शासक वर्ग की स्त्रियों को सम्मि लत कया गया था। हिन्दू शासक वर्ग अपनी आ र्थक सम्पन्नता केकारण मुस्लिम शासक वर्ग की जीवन शैली का अनुकरण करते थे। इस वर्ग की स्त्रियों का जीवन भी मुस्लिम शासक वर्ग की भाँति सुखमय था।

मध्यमवर्ग की स्त्रियों के अन्तर्गत शक्षकोंए हकीमोंए ज्योति षयोंए साधारण अमीरोंए व्यापारियोंए वेतन भोगीराजकीय कर्मचारियों आदि की गणना की जा सकती है। आ र्थक दृष्टि से यह वर्ग कम धनी था और इसके आय के साधनसी मत थे। इस वर्गकी हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों की दशा लगभग समान ही थी। जहाँ तक शल्पकारए कृषक तथा अन्यछोटे व्यवसाय मे लगे वर्ग की स्त्रियों की दशा का सम्बन्ध है उनकी दशा मध्य वर्ग की स्त्रियों की दशा से निम्नतर थी। इसवर्ग की स्त्रियाँ अपने पति के व्यवसाय में भी उनका साथ देती थी। इस वर्ग की स्त्रियाँ अपने पति के व्यवसाय में भी उनकासाथ देती

थी। इस वर्ग की स्त्रियों को अपने परिवार की सी मत आय के कारण जीवनयापन के लए काफी परिश्रम करनापड़ता था। परन्तु निम्नवर्ग की हिन्दू.मुस्लिम स्त्रियों की दशा दयनीय थी वे समाज के उच्च वर्ग पर निर्भर करती थी जिनकेयहाँ सेवाकर अपनी जी वका चलाया करती थी।

वर्तमान में देशभर में मुस्लिम महिलाओं को बेहद गहरे तक जड़े जमाए बैठी असमानता और हिंसा का सामना करना पड़रहा है। इससे न केवल महिलाओं के अ धकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है बल्कि इस्लाम धर्म के बुनियादी सद्धान्त औरमूल्य भी इसमें दफन हो रहे हैं। महिला के खलाफ हिंसा इस्ला मक परम्परा का हिस्सा नहीं है ले कन यह मुस्लिमदम्पत्तियों में काफी वस्तार से जड़े जमाए हुए हैं। लैं गक भेदभाव तथा पुरूषों द्वारा खुद को प्रभुत्वशाली मानने की
प्रवृत्ति सम्पूर्ण समाज में आज भी व्याप्त है।

सन्दर्भग्रन्थ .

1अन्निसाः32 कुरानद्धपृष्ठ3238 2वहीएपृष्ठ51 3कुरान3357
मुस्लिम समाज मे महिलाओं की प्रस्थिति और भू मकाँ